कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बाराबंकी।

पत्रांक– 1845 /14–4–4, दिनांक, बाराबंकी, 08-11-/2017.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक
सरयू वृत्त, उ0प्र0, फैजाबाद।

विषयः– पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्राप्त हुयी आपत्तियों का निराकरण।

सन्दर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय का पत्रॉक– 1030/11–सी/एफ.पी./यू.पी./रोड/28804/2017 दिनांक 11–10–2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो आपको सम्बोधित तथा अन्य के साथ अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, के क्रम में अवगत कराना है कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण (याचक विभाग) उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी विपिन खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ के कार्यालय के पत्रॉक– 2434/यूपीडा/619 दिनांक 30–10–2017 द्वारा प्राप्त हुआ है जिसकी सूचना संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(जावेद अख्तर)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी

क्र0	आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	2	3
1	प्रस्तावित वन भूमि का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Referenced Digital Map संलग्न है, किन्तु के0एम0एल0 फाइल शेप की सी0डी0 संलग्न नहीं है।	प्रयोक्ता अभिकरण (यूपीडा) द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के मैप की के0एम0एल0 फाइल एक अदद सी0डी0 उपलब्ध कराया गया है जिसे मूल में नामित नोडल अधिकारी (प्रभागीय वनाधिकारी सुल्तानपुर) को मूल में संलग्न कर प्रेषित है।
2	प्रभावित संरक्षित वन भूमि के दोगुने अवनत वन भूमि पर 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न नही किया गया है। संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 अपलोड करें।	याचक विभाग (पूर्वांचल एक्सप्रेसवे) अपने पत्रॉक– 2434/यूपीडा/619 दिनांक 30–10–2017 द्वारा सूचित किया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के संरेखण में विभिन्न जिलो की 8.4165 हे0 भूमि प्रभावित हो रही है जिसका दुगना लगभग 17.0 हे0 अवनत वन भूमि पर 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी वन प्रभाग से प्राप्त हो गया है। अमेठी वन प्रभाग के कादूनाला वन ब्लाक में 9.0 हे0 तथा पाली वन ब्लाक में 8.0 हे0 का क्षेत्र, इस प्रकार कुल 17.0 हे0, संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वन क्षेत्र पर वृक्षारोपण के लिए चयनित किया गया है। प्रश्नगत क्षेत्र की सी0डी0 संलग्न कर भेजी जा रही है। जिसमें बाराबंकी जनपद से सम्बन्धित प्रभावित 0.366 हे0 संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष 0.732 हे0 अवनत वन भूमि पर अमेठी वन प्रभाग के कादूनाला अवनत वन ब्लाक में 0.4236 हे0 तथा पाली वन ब्लाक में 0.3084 हे0 क्षेत्र कुल 0.732 हे0 क्षेत्र पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण अमेठी वन प्रभाग द्वारा किया जायेगा। तथा आनलाइन के भाग–2 में अपलोड कर दिया गया है।
3	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Referenced Digital मैप एवं के0एम0एल0 फाइल सेप की सी0डी0 संलग्न नहीं किया गया है। संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थलों के सम्बन्ध में के0एम0एल0 फाइल क्रम सं0– 1 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। तथा आनलाइन के भाग–2 में अपलोड कर दिया गया है।
4	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित व चिन्हित 1.50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न नहीं किया गया है। संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थलों के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा अपने पत्रॉक– 2382/यूपीडा/619 दिनांक 26–10–2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सी0डी0 मूल में संलग्न कर नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक द्वारा नामित नोडल अधिकारी (प्रभागीय वनाधिकारी सुल्तानपुर) को प्रेषित है। तथा आनलाइन के भाग–2 में अपलोड कर दिया गया है।
5	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किया गया है। संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण–पत्र प्रभागीय वनाधिकारी अमेठी द्वारा उपलब्ध कराया गया है जिसकी फोटो प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। तथा आनलाइन के भाग–2 में अपलोड कर दिया गया है।
6	भू–स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	भू–स्वामित्व वाले विभाग की एन0ओ0सी0 स्थलों के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा का Undertaking फॉरेस्ट प्रपोजल फाइल में संलग्न है।
7	प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) एवं संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुई एन0पी0वी की धनराशि भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) एवं संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुई एन0पी0वी की धनराशि भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है जिसे प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
8	वन अधिकार अधिनियम– 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न है किन्तु मूल में संलग्न नहीं किया गया है।	वन अधिकार अधिनियम– 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र का मूल प्रमाण– पत्र संलग्न है।
9	परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव बिहार न होने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव बिहार न होने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र संलग्न है जिसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया है।
10	ऑनलाइन भाग–2 में जिले का भैगोलिक क्षेत्रफल डाटा त्रुटिपूर्ण फीड किया गया है।	ऑनलाइन भाग–2 में जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 3891.50 वर्ग किमी0 अथवा 389150.00 हे0 ही है जो सही है।

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ के पत्रॉक– 865/11–सी–एफ.पी./यू.पी/रोड/28804/2017 दिनांक 25–09–2017 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी सुल्तानपुर को नोडल अधिकारी नामित किया गया है जिसके क्रम में परियोजना एवं आपत्ति के निराकरण की पॉच प्रति संलग्न कर प्रभागीय वनाधिकारी सुल्तानपुर को भेजा जा रहा है।

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानसार।

प्रभागीय निदेशक